



Neutral Citation No. - 2026:AHC:172090

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

बीएनएसएस की धारा 528 के तहत आवेदन संख्या - 39228 वर्ष 2025

पारुल

.....आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य

.....प्रतिवादी

आवेदक के अधिवक्ता : सचिन कनौजिया, शिवम कनौजिया

प्रतिवादी के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 75

माननीय न्यायमूर्ति डॉ गौतम चौधरी

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता तथा राज्य के विद्वान ए.जी.ए. श्री चंदन सिंह को सुना गया।
2. वर्तमान आवेदन सत्र परीक्षण संख्या 4603 सन् 2024 (राज्य बनाम हुस्नैन एवं अन्य), जो मुकदमा अपराध संख्या 283 सन् 2023, धारा 3(1) उत्तर प्रदेश गैंगस्टर्स एवं समाज-विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1986, थाना कोतवाली फर्रुखाबाद, जनपद फर्रुखाबाद से उत्पन्न है तथा विद्वान विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर्स अधिनियम/अपर सत्र

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।
सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



न्यायाधीश, न्यायालय संख्या 5, जनपद फर्रुखाबाद के समक्ष लंबित है, की संपूर्ण कार्यवाही को निरस्त करने तथा उक्त वाद में पारित आरोप-पत्र दिनांक 08.06.2024 और संज्ञान/समन आदेश दिनांक 12.12.2024 को भी निरस्त करने की प्रार्थना के साथ प्रस्तुत किया गया है।

3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया है कि संपूर्ण कार्यवाही को चुनौती देने का मुख्य आधार यह है कि विद्वान विचारण न्यायालय ने संज्ञान लेते समय उत्तर प्रदेश गैंगस्टर्स एवं समाज-विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) नियमावली, 2021 (जिसे आगे “नियमावली” कहा जाएगा) के नियम 5 के अनुपालन पर विचार नहीं किया। उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि नियम 5 में विशेष रूप से यह प्रावधान है कि गैंग चार्ट को संक्षेप में अनुमोदित नहीं किया जाएगा, बल्कि पुलिस आयुक्त/जिलाधिकारी/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक की संयुक्त बैठक में समुचित विचार-विमर्श के पश्चात अनुमोदित किया जाएगा, जिसे संबंधित थाना प्रभारी/थानाध्यक्ष/निरीक्षक द्वारा तैयार किया जा चुका हो, जो अपर पुलिस अधीक्षक के समक्ष उपस्थित हुए हों और उनकी समुचित संस्तुति प्राप्त करने के पश्चात उसे जिला पुलिस प्रमुख के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है और उसके पश्चात नियम 5 में उल्लिखित अधिकारियों के साथ संयुक्त बैठक में उसका अनुमोदन किया जाना है, जिन्होंने उसकी संस्तुति की है और केवल तभी अनुमोदन के समय उसे संयुक्त रूप से अंतिम रूप से अनुमोदित किया जाना है। आवेदन के साथ संलग्न अनुमोदन पृष्ठ संख्या 40 पर उपलब्ध है, जिसमें विभिन्न अधिकारियों द्वारा विभिन्न तिथियां अंकित की गई हैं। विद्वान अधिवक्ता ने आगे तर्क दिया कि यद्यपि संबंधित अधिकारी द्वारा तैयार गैंग चार्ट की विधिवत संस्तुति की गई थी, लेकिन गैंग चार्ट के अनुमोदन के समय नियम 5(3)(ए) के अनुसार संयुक्त बैठक होनी आवश्यक थी, किंतु वर्तमान मामले



में इसका अनुपालन नहीं किया गया है। अतः संपूर्ण कार्यवाही इस न्यायालय द्वारा निरस्त किए जाने योग्य है।

4. इसके विपरीत, विद्वान ए.जी.ए. ने आवेदन में की गई प्रार्थना का पुरजोर विरोध किया तथा आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्कों का खंडन किया और वर्ष 2021 की नियमावली के नियम 16(2) पर भरोसा किया, जिसमें संबंधित पुलिस आयुक्त/जिलाधिकारी द्वारा गैंग चार्ट के अनुमोदन के समय आयोजित की जाने वाली संयुक्त बैठक का लगभग कोई उल्लेख नहीं है। विद्वान ए.जी.ए. ने आगे प्रस्तुत किया कि वर्ष 2021 की नियमावली के नियम 16(2) में वर्णित विशिष्ट शब्दावली निम्नानुसार है:-

“मैंने गैंग-चार्ट और संलग्न प्रपत्रों का विधिवत परिशीलन कर लिया है और मैं पूर्णतः संतुष्ट हूँ कि मामले में उल्लिखित सभी विवरण सही हैं तथा उत्तर प्रदेश गैंगस्टर्स एवं समाज-विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1986 के अंतर्गत कार्रवाई किए जाने का संतोषजनक आधार है। तदनुसार, अनुमोदित।”

5. अतः विद्वान ए.जी.ए. द्वारा यह तर्क दिया गया कि वर्ष 2021 की नियमावली के नियम 16(2) में वर्णित उपर्युक्त प्रारूप स्वयं यह दर्शाता है कि गैंग चार्ट को अग्रेषित करने वाले प्राधिकारी और अनुमोदन करने वाले प्राधिकारी की संयुक्त बैठक आयोजित करने की कोई विशेष आवश्यकता नहीं है।

6. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत परस्पर विरोधी तर्कों को सुनने के पश्चात, यह न्यायालय पाता है कि वर्ष 2021 की नियमावली के नियम 5(3)(ए) में प्रारंभिक स्तर पर संबंधित अधिकारियों की संयुक्त बैठक आयोजित करने के संबंध में नियम स्पष्ट हैं, जिसमें प्रस्तुत करने वाला अधिकारी, अग्रेषित करने वाला अधिकारी तथा उसके पश्चात



अनुमोदन करने वाले प्राधिकारी के साथ विचार-विमर्श किया जाना सम्मिलित है। यद्यपि वर्ष 2021 की नियमावली के नियम 5 के नीचे उल्लिखित नियमों में अनुमोदन करने वाले प्राधिकारी द्वारा पारित किए जाने वाले आदेशों की शब्दावली को स्पष्ट किया गया है, किंतु संयुक्त बैठक/विचार-विमर्श का उल्लेख बार-बार किया जाना आवश्यक नहीं है, क्योंकि विधानमंडल और विधि-निर्माता इस बात के प्रति सचेत हैं कि संबंधित अधिनियम/नियमावली के प्रत्येक नियम/धारा में प्रक्रिया को बार-बार दोहराया न जाए, क्योंकि अधिनियम के अंतर्गत बनाए गए नियमों में उपलब्ध धाराओं का अध्ययन प्रक्रियात्मक रूप से किया जाना है, जहां बाद के क्रम में इसे लिखा गया है और इस प्रकार वर्ष 2021 की नियमावली के नियम 5(3)(ए) में निहित प्रावधान को वर्ष 2021 की नियमावली के नियम 5 के नीचे उल्लिखित अन्य नियमों को पढ़ते समय प्राथमिकता दी जानी है और इस प्रकार संयुक्त बैठक आयोजित करने संबंधी विशिष्ट प्रावधान गैंग चार्ट को अग्रेषित करने में सम्मिलित सभी अधिकारियों के लिए अनिवार्य है तथा अंततः अनुमोदन करने वाले प्राधिकारी के लिए वर्ष 2021 की नियमावली के नियम 5(3)(ए) के अंतर्गत बैठक आयोजित करना अनिवार्य है। अनुमोदन करने वाले प्राधिकारी के लिए अनिवार्य उक्त प्रक्रिया वर्तमान मामले में अनुपस्थित है और इस प्रकार गैंग चार्ट के अनुमोदन से उत्पन्न संपूर्ण कार्यवाही, जिसके परिणामस्वरूप आरोप-पत्र दिनांक 10.11.2023 प्रस्तुत किया गया तथा तत्पश्चात विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित समन आदेश दिनांक 20.01.2024, एतद्वारा निरस्त एवं अपास्त किए जाते हैं।

7. यह आदेश संबंधित प्राधिकारी द्वारा, यदि आगे आवश्यक हो, वर्ष 2021 की नियमावली के नियम 5(3)(a) में उल्लिखित कार्यवाही को पुनः प्रारंभ करने में बाधक नहीं होगा।

8. तदनुसार, आवेदन स्वीकार किया जाता है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



(न्यायमूर्ति डॉ. गौतम चौधरी)

12 अगस्त, 2026

एस. अली

Translated version. Not for legal use.

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।
सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा!